

(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
FINANCE (REVENUE-1) DEPARTMENT
DELHI SACHIVALAYA, I.P. ESTATE, NEW DELHI-110 002**

No.F3(16)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/282

Dated: 16/7/20

Notification No 28/2019- State Tax (Rate)

No. F.3 (16)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-IV/ - In exercise of the powers conferred by sub-section (3) and sub-section (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of the National Capital Territory of Delhi, in the Department of Finance (Revenue-1), No.12/2017- State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017, published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 41, -

- (a) in column (3), for the figure "50", at both the places where they occur, the figure "20" shall be substituted;
- (b) for the entry in column (5), the following entries shall be substituted, namely, -

(5)
"Provided that the leased plots shall be used for the purpose for which they are allotted, that is, for industrial or financial activity in an industrial or financial business area:
Provided further that the State Government concerned shall monitor and enforce the above condition as per the order issued by the State Government in this regard:
Provided also that in case of any violation or subsequent change of land use, due to any reason whatsoever, the original lessor, original lessee as well as any subsequent lessee or buyer or owner shall be jointly and severally liable to pay such amount of state tax, as would have been payable on the upfront amount charged for the long term lease of the plots but for the exemption contained herein, along with the applicable interest and penalty:
Provided also that the lease agreement entered into by the original lessor with the original lessee or subsequent lessee, or sub- lessee, as well as any subsequent lease or sale agreements, for lease or sale of such plots to subsequent lessees or buyers or owners shall incorporate in the terms and conditions, the fact that the state tax was exempted on the long term lease of the plots by the original lessor to the original lessee subject to above condition and that the parties to the said agreements undertake to comply with the same."

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of January, 2020.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi.



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

No.F3(16)/Fin(Rev-I)/2020-21/DS-IV/ *LS*

Dated: 16/7/20

Copy forwarded for information to:-

1. The Principal Secretary to the Hon'ble Lieutenant Governor, Delhi
2. The Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
3. The Commissioner, State Tax, Delhi, Vyapar Bhawan, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request to publish the notification in Delhi Gazette Part-IV (Extraordinary) in today's date.
5. The Additional Secretary to the Hon'ble Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P Estate, New Delhi
6. The Secretary to Finance Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
7. The Additional Secretary (Law), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi
8. The P.S. to the Leader of Opposition, 29, Delhi Legislative Assembly, Old Secretariat, Delhi.
9. OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
10. Guard File.
11. Website.



(Sunil Sehgal)

Dy. Secretary IV (Finance)

Note: -The principal notification No. 12/2017 - State Tax (Rate), dated the 30th June, 2017 was published in the Delhi Gazette, Extraordinary, Part IV, *vide* No. F.3 (15)/Fin (Rev-I)/2017-18/DS-VI/380, dated the 30th June, 2017 and was last amended by notification No. 21/2019 - State Tax (Rate), dated 17/06/2020 *vide* No. F.3 (11)/Fin (Rev-I)/2020-21/DS-VI/2, dated 17/06/2020.

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग चार में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (राजस्व-1) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई. पी. इस्टेट: नई दिल्ली-110 002.

सं.फा. 3(16)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/288

दिनांक: 16/7/20

अधिसूचना सं. 28/2019-राज्य कर (दर)

सं.फा. 3(16)/वित्त(राजस्व-1)/2020-21/डीएस-IV/ -दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 9 की उपधारा (3) और उपधारा (4), धारा 11 की उपधारा (1), धारा 15 की उपधारा (5) और धारा 148 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उपराज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और जीएसटी परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, दिल्ली सरकार, वित्त विभाग (राजस्व-1) की अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30/06/2017, जिसे सं.फा.3(15)/वित्त (राजस्व-1)/2017-18/डीएस-VI/380 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण भाग-4 में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा:-

उक्त अधिसूचना में सारणी में, कम संख्या 41 के समक्ष,-

(क) कॉलम (3) में, अंक "50", उन दोनों जगहों पर जहां-जहां यह आए हों, के स्थान पर अंक "20" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) कॉलम (5) की प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(5)

बशर्ते कि पट्टे पर दिए गए प्लाट्स का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना होगा जिसे लिए इनका आबंटन किया गया हो, अर्थात् किसी औद्योगिक या वित्तीय व्यापारिक क्षेत्र में औद्योगिक या वित्तीय कारोबार हेतु;

बशर्ते और भी कि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य सरकार इसकी परीक्षा करेगी और उपर्युक्त शर्त को लागू करेगी;

बशर्ते और भी कि यदि कोई उल्लंघन होता है या बाद में भू-उपयोग में कोई परिवर्तन होता है, चाहे जिस किसी भी कारण से, तो मूल पट्टाकर्ता, या पट्टाग्राही साथ ही साथ तदंतर का कोई भी पट्टाग्राही या क्रेता या सभी संयुक्त रूप से और अलग-अलग भी राज्य कर की उतनी राशि का भुगतान करने के लिए दायी होंगे जितनी कि यदि यह छूट न दी गई होती तो प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने की स्थिति में भारित "अपफ्रंट रकम" देय होता, साथ ही वे देय ब्याज तथा शास्ति का भी भुगतान करने के प्रति इसी प्रकार दायी होंगे।

बशर्ते और भी कि यदि मूल पट्टाकर्ता का मूल पट्टाग्राही या तदंतर का पट्टाग्राही या उप पट्टाग्राही

के साथ कोई करार होता है अथवा ऐसे प्लाट्स का तदन्तर पट्टाग्राही या क्रेता या स्वामी के साथ पट्टे या बिक्री के लिए बाद में कोई पट्टा या बिक्री का करार होता है तो ऐसे करार की शर्तों में यह भी उल्लेख होगा कि उपर्युक्त शर्त के अधीन रहते हुए मूल पट्टाग्राही को मूल पट्टाकर्ता द्वारा प्लाट्स को दीर्घकालीन पट्टे पर दिए जाने पर राज्य कर से छूट प्रदान की गई थी और उक्त करार के पक्षकार उक्त शर्त का अनुपालन करने का वचन देते हैं।

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 जनवरी, 2020 से लागू होगी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर



(सुनील सहगल)

उप सचिव- IV (वित्त)

सं.फा. 3(16)/वित्त(राजस्व-I)/2020-21/डीएस-IV/288

दिनांक: 16/7/20

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित:

1. माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली के प्रधान सचिव, उपराज्यपाल सचिवालय, दिल्ली।
2. सचिव, वित्त विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
3. आयुक्त, राज्य कर, दिल्ली, व्यापार भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली।
4. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति सहित आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र भाग - चार असाधारण में प्रकाशनार्थ।
5. माननीय मुख्यमंत्री के अतिरिक्त सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
6. वित्त मंत्री के सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
7. अतिरिक्त सचिव (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
8. नेता प्रतिपक्ष के निजी सचिव, 29, दिल्ली विधान सभा, पुराना सचिवालय, दिल्ली।
9. मुख्य सचिव के विशेष कार्याधिकारी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
10. गार्ड फाइल।
11. वेब साइट।



(सुनील सहगल)

उप सचिव- IV (वित्त)

टिप्पण: प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-राज्य कर (दर), दिनांक 30/06/2017 को जिसे सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/380, दिनांक 30/06/2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण, भाग-4 में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 21/2019-राज्य कर (दर), दिनांक 17/06/2020, सं. फा. 3(11)/वित्त (राजस्व-I)/2020-21/डी.एस. VI/2, दिनांक 17/06/2020 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है।